आयोजनागत

संख्या-347/ III-2/05-22 (प्रा.आ.)/04

प्रेषक,

टी.के.पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

देहरादून,दिनांक 10 मार्च , 2005

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004-05 में जनपद नैनीताल में नैनीताल बाईपास मोटर मार्ग (लम्बाई 6.750 किमी.) के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-2594/श.वि.-आ. -03-174(आवास)/2001 दिनांक 10 नवम्बर,2003 के कम में एवं आपके पत्र संख्या-1967/ 24(22) नता- उत्तरांचल/04 दिनांक 3 जून /2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल में नैनीताल बाईपास मोटर मार्ग (लम्बाई 6.750 किमी) के आगणन रू0 952.82 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रू0 916.65 लाख (रू0 नौ करोड सोलह लाख पैंसठ हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष 04-05 में रूपये 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1. माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत मार्ग निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाये ।

2. भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को समायोजित किया जायेगा।

3. प्रस्तावित योजनान्तर्गत रोड कटिंग कॉस्ट (**Road Cutting Cost**) सामान्य दर @ 25 से अधिक होने के कारणों से मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता स्वंय सन्तुष्ट हो ले तथा व्यय वित्त समिति को भी अवगत करायेंगे।

4. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

5. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्ग है,स्वीकृत मार्ग से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

7. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9. निर्माण कार्य स्थल की स्थिती के कम मेकार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप पूरी सावधानी से कार्य किया जाये।

10. आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद मे किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

12. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा ।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलो मे बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3. 2005 तक उपभोग सुनिश्चित कर लिया जाय । कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा ।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय।

15. इस कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 मे अनुदानसंख्या-22 लेखाशीर्षक -5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सडके- आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 -राज्य सेक्टर-02- नया निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा

16. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू.ओ. 669/वित्त अनुभाग-3/2005 दिनांक 07 मार्च ,2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(टी.के.पन्त)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-347(1)/III-2/04,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2. रजिस्ट्रार जनरल मा0 उच्च न्यायालय ,नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण से संबंधित जनहित याचिका में उठाये गये बिन्दुओं के परिप्रेक्ष में योजना का भौतिक अनुश्रवण अपने स्तर से करने हेतु सादर प्रेषित ।
3- आयुक्त कुमायू मंडल, नैनीताल ।
4- जिलाधिकारी/ कोषाधिकरी ,नैनीताल ।
5- मुख्य अभियन्ता ,कुमायू क्षेत्र,लो0नि0वि0, अल्मोड़ा ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल। देहरादून।
8- अधीक्षण अभियन्ता,22 वां वृत्त लो0नि0वि0 नैनीताल।
9- वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन
11- गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी.के.पन्त)
संयुक्त सचिव ।